

प्रबंध निदेशक
5/11/18

लेखा शाखा/प्रमूडनीय कार्यालय प्रभारी को सूचनाएं एवं अनुपालनाएं प्रेषित ।

प्रतिनिधि: जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, भालपुर/सभी ऋणधारकों/ऋण शाखा/ऋण शाखा(कम्प्यूटर सेल)।

आपक:- 1540

दिनांक :- 26/11/18
प्रबंध निदेशक

ह/0/-

स्वीकृत ऋण राशि से वर्तित ढेड़ में लाभार्थी द्वारा परिसम्पत्तियाँ/सम्पत्तियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से सुरक्षित की गयी परिसम्पत्तियाँ अथवा क्रय की गयी सम्पत्तियों की शैतिक जाँच कर प्रमूडनीय कार्यालय के प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।
उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा व्याज सहित 20 सामान वित्तीयक किस्तों अर्थात 5 वर्षों में वापस किया जाना है।

Sl. No	वर्ष	क्र.सं.	Appl_Name	Bank A/c No. of Applicant	Trade	Sanctioned Loan Amount	0.5% Processing Charge	Net Payable Amount
1.	17/70		MD SUJAET ALAM, S/o- MD SHAFIQUE UDDIN, VIII.-BIHPUR, Block- BIHPUR, PS + PO-BIHPUR, Dist.-BHAGALPUR-853201	A/c No.:- 50437780661 ALLA0210225	MOBILE SHOP	100000	500	99500
2.	2/116		MD ARSHAD ANSARI, S/o- MD AKHTAR ANSARI, VIII.- MULANACHAK, Block- JAGDISHPUR, PS-MOJAHIDPUR, PO-BHAGALPUR CITY, Dist.- BHAGALPUR-812002	A/c No.:- 17030110055687 UCBA0001703	DESKTOP PRINTING	100000	500	99500

खता में RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरित करने के लिए आदेश दिया जाता है :-

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार के आप संख्या-3060 दिनांक-03.01.2016 के आलोक में राज्य सम्पत्ति मूल्यांकन अल्पसंख्यक योजना ऋण योजना-वर्तित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा दिनांक-10.03.2017 को चयनित प्रक्षेपण आवेदकों में से वित्तीय आवेदकों से प्रमूडनीय प्रभारी द्वारा भालपुर जिला के जूटिडीन कारावासी/दस्तावेज निष्पादन कारक उक्त द्वारा स्थल जाँच कर समर्पित किया गए स्थल जाँच प्रतिवेदन में ऋण राशि की स्वीकृति देने के लिए की गई अनुरोधों के आधार पर कुल 02 लाभार्थी को उक्त नाम के सामने अंशक ढेड़ में 5 प्रतिशत वार्षिक साधारण व्याज दर पर ढशीये गए ऋण राशि की स्वीकृति दी जाती है। साथ ही विभागीय पत्र संख्या 1531 दिनांक 18.05.2016 के तहत RTGS/NEFT के माध्यम से ऋण राशि भुगतान करने हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में स्वीकृत ऋण राशि में से 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में काटी कराने के पश्चात नीचे शुरु भुगतान के स्वल्प में दशांश गये राशि सीधे सर्वाधिकार लाभार्थी के आधार कार्ड आच्छादित बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरित करने के लिए आदेश दिया जाता है :-

स्वीकृत आदेश

संख्या:..... बी.एस.एम.एफ.सी./ पटना दिनांक:

(Email=minocorporatna@gmail.com. website:www.bsmfc.org)

34, हॉटिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975 Fax: 0612-2215994

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

बिहार स्टेट मार्टिनरीटीज फाइनेंसियल कारपोरेशन लि. पटना